

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 20(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक :- 7/5/15

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी में 'एफ'-टाईप श्रेणी (स्वतंत्र) की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं:-


क.सं	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री शंकर लाल जाट लैब टेक्नीशियन रीनल लैब नेफ्रोलॉजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-712, गांधीनगर (4/147, गांधीनगर के स्थान पर)	31.8.2028	231
2	श्री सुभाष चन्द्र कसारा कनिष्ठ लिपिक कृषि आयुक्तालय, जयपुर	एफ-44, गांधीनगर (4/117, गांधीनगर के स्थान पर)	30.11.2033	235
3	श्री मोहन सिंह मीणा नर्स ग्रेड-II सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-67, गांधीनगर (4/108, गांधीनगर के स्थान पर)	31.10.2028	309
4	श्री सुरेश कुमार शर्मा सहायक लेखाकारी-II चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	एफ-120, गांधीनगर (4-डी-20, गांधीनगर के स्थान पर)	31.1.2021	323
5	श्री जितेन्द्र कुमार मीना, नर्स ग्रेड-II, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-122, गांधीनगर (4/129, गांधीनगर के स्थान पर)	31.3.2043	334
6	श्री कैलाश मीणा, सहायक अनुभागाधिकारी, राजस्व (ग्रुप-8) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एफ-135, गांधीनगर (4/8, गांधीनगर के स्थान पर)	31.12.2044	335
7	श्रीमती अनिता वर्मा, निरीक्षक (ऑडिट), स्पेशल ऑडिटर, सहकारी समिति, जयपुर शहर, सहकारिता विभाग, जयपुर आर-10, रघुविहार कॉलोनी, लालकोठी, जयपुर	एफ-183, गांधीनगर (4/150, गांधीनगर के स्थान पर)	31.3.2035	336
8	श्री हनुमान सिंह, मेल नर्स-II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-191, गांधीनगर (4/32, गांधीनगर के स्थान पर)	30.11.2041	337

शर्तें :-

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/वध्वों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।


2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कर्य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेन्द्र कुमार खत्री)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
7. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
10. कार्यालय स्पेशल ऑडिटर, सहकारी समिति, जयपुर शहर, सहकारिता विभाग, जयपुर
- आर-10. रघुविहार कॉलोनी, लालकोठी, जयपुर
11. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग-खण्ड-तृतीय/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गौधीनगर, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौक गौधीनगर, जयपुर।
14. सम्बन्धित कर्मचारीगण को भेजकर लेख है कि नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द करवाते हुए इस विभाग को सूचित करावें।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

5

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/2015

जयपुर, दिनांक - 7/5/15

-: आदेश :-


निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता के अनुसार उनके नाम, के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते हैं :-

क्रं सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	145/1995	श्री राकेश कुमार आचार्य सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ग-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5-ए-7, गांधीनगर (बहुमंजिला)	31.12.2030
2	21/1999	श्री अशोक बिलाला वरिष्ठ लिपिक अधिशाषी अभियंता, (मुख्यालय) सार्वजनिक निर्माण विभाग, हाल कार्यालय शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	5/185 गांधीनगर	31.08.2020
3	6/2004	श्री हरिओम अग्रवाल कनिष्ठ लिपिक अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (रेलवे), जयपुर महानगर, जयपुर	5-सी-19, गांधीनगर (बहुमंजिला)	30.6.2037
4	21/2006	श्री ओम प्रकाश शर्मा कनिष्ठ लिपिक निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर	5/191 गांधीनगर (5/156, गांधीनगर के स्थान पर)	31.5.2021
5	30/2007	श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा कनिष्ठ लिपिक न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, जयपुर	5/67, गांधीनगर	31.10.2029
6	37/2007	श्री भूपेश शर्मा कनिष्ठ लिपिक पर्यटन विभाग मुख्यालय, जयपुर	5/82, गांधीनगर	31.03.2041
7	55/2011	श्री रमेश सिंह कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (क-3) पी.ओ. विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/100, गांधीनगर	30.9.2019
8	60/2011	श्री अशोक कुमार कनिष्ठ लिपिक राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	5/121, गांधीनगर	31.5.2050
9	62/2011	श्री हर्ष गोयल कनिष्ठ लिपिक, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	5/151, गांधीनगर	28.2.2050
10	41/2008	श्री रमेश चन्द कनिष्ठ लिपिक निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	GA-V/T-1/47 विद्याधर नगर	31.01.2038
11	48/2012	श्री कमल सागर कनिष्ठ लिपिक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर	GA-V/T-1/120 विद्याधर नगर	31.12.2044
12	71/2012	श्री सुनील कुमार मोरोडिया कनिष्ठ लिपिक प्रशासनिक सुधार (सु.अ.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	GA-V/T-1/149 विद्याधर नगर	30.4.2043

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 1 व 3 पर अंकित आवंटनी से 'कॉमन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रुपये 75/- (अक्षरे पिचेत्तर रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेन्द्र कुमार खीची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
6. निदेशक, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
7. निदेशक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
8. निदेशालय, पर्यटन विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
9. न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, जयपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (रेलवे), जयपुर महानगर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
15. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
16. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग-खण्ड-तृतीय/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० विद्याधर नगर/गांधीनगर, जयपुर।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
19. क्रम संख्या 4 पर अंकित आवंटनी को भेजकर लेख है कि कृपया नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
20. सम्बन्धित कर्मचारीगण
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
22. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को 'एच' श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किए जाते हैं:-

क.सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि
1.	13/1997	श्री लक्ष्मीनारायण सहायक कर्मचारी कार्यालय सभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर	एच-565, गांधीनगर	28.2.2026
2.	15/1997	श्री मनबहादुर थापा चौकीदार निदेशक, (बांध), आईडीआर, जल संसाधन विभाग, जयपुर	एच-888, गांधीनगर	31.10.2020
3	2/2000	श्री थाना राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी किशोर गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सेठी कॉलोनी, जयपुर	एच-874, गांधीनगर	30.6.2026
4	8/2001	श्री लालाराम मीणा पुत्र श्री चंद मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर	एच-554, गांधीनगर	31.12.2026
5	26/2001	श्री ललित कुमार भोई पुत्र स्व. श्री पुरुषोत्तम लाल भोई सहायक कर्मचारी कार्यालय अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता), खनिज भवन, तिलक मार्ग, चौथी मंजिल, जयपुर	एच-576, गांधीनगर	31.8.2029
6	70/2001	श्री नवरतन सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	6/2, गांधीनगर (एच-504, गांधीनगर के स्थान पर)	30.6.2045

शर्त :-


1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटि के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम पर जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खीची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, (बांध) आईडीआर, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
6. अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता), खनिज भवन, तिलक मार्ग, चौथी मंजिल, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
11. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
13. सम्बन्धित कर्मचारीगण। श्री नवरतन सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भेज कर लेख है कि नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर विभाग को सूचित करावें।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/14-पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 7/5/15


-: आदेश :-

श्री प्रताप सिंह, कानिस्टेबल नं. 112, राजस्थान पुलिस, हाल पीएसओ, माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 287ए/2014 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2038 के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम-27 के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या एफ-497, गांधीनगर (स्वतंत्र) का वर्तमान पद पर पदस्थापन तक निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-

शर्त :-


1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेन्द्र कुमार खीची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग को डायरी संख्या 169/एम/जीएडी/15 दिनांक 3.3.2015 के क्रम में।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
9. संबंधित कर्मचारी।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
11. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक :- 7/5/15

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों पर एतद्द्वारा आवंटन किये जाते हैं -


क्रं सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	10/2008	श्री मनमोहन गोविंद वरिष्ठ लिपिक गोपनीय शाखा, कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर	4/41, गांधीनगर	31.7.2021
2	76/2008	श्री प्रदीप वर्मा लैब टेक्नीशियन मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मंदिर मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर	4/28, गांधीनगर	31.07.2031
3	202/2008	श्री विश्व दीप दीक्षित कनिष्ठ लिपिक निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर	4/55, गांधीनगर	31.05.2030
4	7/2009	श्री मोहन सिंह नरुका कनिष्ठ लिपिक (भुगतान शाखा), केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर	4/56, गांधीनगर	31.7.2035
5	125/2009	श्री अनुराग महावर वरिष्ठ लिपिक मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	4/63, गांधीनगर	29.2.2028
6	145/2009	श्री घनश्याम शर्मा वरिष्ठ लिपिक राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर	4/67, गांधीनगर	30.6.2022
7	69/2010	श्री नीरज माथुर वरिष्ठ लिपिक निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल भवन, जयपुर	4/64, गांधीनगर	31.07.2028
8	94/2010	श्री प्रकाशराम विश्नोई सहायक उप निरीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर	4/157, गांधीनगर (4/177, गांधीनगर के स्थान पर)	30.6.2040
9	124/2010	श्रीमती सरोज टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रधानाचार्य, राजकीय खेतान पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, जयपुर	4/66, गांधीनगर	1.12.2026
10	126/2010	सुश्री कविता मोरानी वरिष्ठ लिपिक सहायक निदेशक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर	4/94, गांधीनगर	30.11.2023
11	127/2010	श्री विष्णु दत्त शर्मा कनिष्ठ लेखाकार उप निदेशक, मूल्यांकन संगठन, जयपुर	4/105, गांधीनगर	31.12.2020
12	128/2010	श्री विनोद कुमार खण्डेलवाल वाहन चालक जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर	4/83, गांधीनगर	31.10.2028
13	129/2010	श्री उमेश कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) प्रथम, जयपुर	4/99, गांधीनगर	28.2.2030

14	132/2010	श्री अमर चन्द बंशीवाल वरिष्ठ लिपिक सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-1, जयपुर	4/100, गांधीनगर	31.1.2030
15	133/2010	श्री महेन्द्र कुमार पलसानिया नर्स ग्रेड-1A सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/110, गांधीनगर	30.6.2041
16	134/2010	श्री देवरतन हर्ष कनिष्ठ लिपिक ए.सी.जे.एम. कं.सं0 5, जयपुर	4/140, गांधीनगर	31.5.2023
17	135/2010	श्री विनोद कुमार गौड नर्स ग्रेड-1A राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, सेटी कॉलोनी, जयपुर	4/85, गांधीनगर	31.12.2030
18	20/2011	श्री गणेश नारायण सोनी वरिष्ठ लिपिक कार्यालय शासन सचिव पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/102, गांधीनगर	31.10.2030
19	37/2011	श्री शंकर लाल शर्मा वरिष्ठ लिपिक कार्मिक (ग-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/115, गांधीनगर	31.7.2018
20	71/2011	श्री बाबू लाल गोठवाल वरिष्ठ लिपिक कार्यालय राज्यमंत्री खाद्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/68, गांधीनगर	31.8.2032
21	78/2011	श्री सज्जन कुमार वरिष्ठ लिपिक सार्वजनिक निर्माण विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/128, गांधीनगर	30.11.2022
22	93/2011	श्री सतीश कुमार स्वामी वरिष्ठ लिपिक राज्यमंत्री कारागार, शासन सचिवालय, जयपुर	4/111, गांधीनगर	31.10.2039

शर्त :-


1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेन्द्र कुमार खीची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
5. महानिरीक्षक पुलिस (गोपनीय शाखा), जयपुर रेंज, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
7. अधीक्षक/नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
9. उप सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
10. निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल, जयपुर।
12. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर।
13. प्रधानाचार्य, राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।
14. सहायक निदेशक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
15. उप निदेशक, मूल्यांकन संगठन, जयपुर।
16. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन शाखा), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर।
17. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जयपुर प्रथम, जयपुर।
18. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-प्रथम, जयपुर।
19. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-5, जयपुर शहर, जयपुर।
20. प्रभारी अधिकारी, राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
21. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मंदिर मार्ग, सेठी, कॉलोनी, जयपुर।
22. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
23. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
24. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
25. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
26. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0-खण्ड-तृतीय/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
27. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
28. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
29. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
30. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव